## उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001 सूचना/विज्ञप्ति

## उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) के पदों पर सीधी भर्ती—2022

संख्याः पीआरपीबी-एक-3(34)/2020

दिनांकः जनवरी 🗥 🕻 ,2022

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्याः डीजी—चार—308(06) / 2016 दिनांकित 21—01—2021 एवं डीजी—चार—308(06) / 2016 / 62 दिनांकित 02—08—2021 के आधार पर उ०प्र० पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉत्रिक), वेतन मैट्रिक्स लेबल—6 (रू० 35400—112400) के क्रमशः 828 एवं 108 अर्थात कुल—936 अधियाचित रिक्त पदों के सापेक्ष श्रेणीवार विवरण निम्नवत है, को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:—

## प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉत्रिक)

क्र0सं0	श्रेणी	पदों की संख्या
1—	अनारक्षित	379
2-	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	92
3—	अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy Layer)	252
4	अनुसूचित जाति	195
5—	अनुसूचित जनजाति	18
	योग:	936

## सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज (HORIZONTAL) आरक्षण

क्र0सं0	समूह	पदों की संख्या
1—	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	18 <sup>-</sup>
2	भूतपूर्व सैनिक	46
3—	महिला	186

1.2— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 05 प्रतिशत तथा महिलाओं को 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों/अद्यतन शासनादेशों, उ०प्र० शासन के कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्याः 39रिट/का—2/2019, दिनांक 26—06—2019 में दी गयी व्यवस्था एवं इस सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका(सिविल) संख्या—23223/2018 सौरम यादव एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में विचारित प्रकीर्ण प्रार्थना—पत्र संख्याः 2641/2019 तथा रिट याचिका(सी) संख्याः 237/2020 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार लागू किया जायेगा।

1.3— प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

## 2.1- ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी :--

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	पंजीकरण आरम्भ होने की तिथि	20-01-2022
2	पंजीकरण की अंतिम तिथि	28-02-2022
3	आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	28-02-2022
4	आवेदन पत्र सबिमट करने की अंतिम तिथि	28-02-2022

## 2.2- आवेदन शुल्क :--

इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रू 400/— (रूपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

## 3- अर्हतायें :--

## 3.1- राष्ट्रीयता :--

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:--

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अविध के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आदश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या सक्षात्कार में सिम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनित्तम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

## 3.2- शैक्षिक अर्हता :--

भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/ टेलीकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रिकल/ कम्प्यूटर साइंस/ इन्फारमेशन टेक्नोलोजी/ इन्सट्रूमेंटेशन टेक्नोलोजी/ मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

#### टिप्पणी :--

- (1) आवेदन की अन्तिम तिथि 28–02–2022 तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण–पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिये। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।
- (2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

## 3.3-अधिमानी अर्हतायें :-

अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर—4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जायेगी:—

- (1) डोएक (DOEACC) / नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
- (2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (3) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी ' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

## **3.4**— <u>आयु</u> :--

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:--

अभ्यर्थी ने दिनांक 01–07–2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का न हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01–07–1994 से पूर्व तथा दिनांक 01–07–2002 के बाद न हुआ हो।

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय लागू अधिनियमों में अथवा लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

## 3.5— चरित्र :--

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

## टिप्पणी :-

संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।



## 3.6- वैवाहिक प्रास्थिति :--

ऐसा / ऐसी व्यक्ति,-

- (क) जिसने किसी ऐसे/ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो/की हो, जिसका/जिसकी पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या
- (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो / की हो,

सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा / होगी:

परन्तु राज्य सरकार का यदि इस बात का समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिये लागू वैयक्तिक विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

## 3.7- शारीरिक स्वस्थता :--

किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानिसक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये।

## 4- भर्ती की प्रक्रिया :--

यह चयन "उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली—2015 (यथा संशोधित)" के अधीन किया जायेगा।

## 4.1- ऑनलाइन लिखित परीक्षा :--

ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित चार विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा:—

विषय	अधिकतम अंक
1- सामान्य हिन्दी	100 अंक
2— विज्ञान / सामान्य ज्ञान	100 अंक
3— संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक
4— मानसिक अभिरूचि परीक्षा / बुद्धिलिब्ध परीक्षा / तार्किक परीक्षा	100 अंक

- (क) ऑनलाइन लिखित परीक्षा 02:30 घण्टे (150 मिनट ) की होगी ।
- (ख) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित करायी जायेगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलुग्र—अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित

परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किये जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण किया जायेगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित की जायेगी।

- (ग) ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द 'अंक' आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा अर्थात् ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न—पत्र के प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह / पात्र नहीं होंगे।
- (घ) संगत सेवा नियमावली के अनुसार बोर्ड, प्रश्नपत्र के चार विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्यीकृत (Normalised) अंकों को जोड़कर की जायेगी।
- (च) ऑनलाइन लिखित परीक्षा का **पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1** पर है।
- (छ) प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0: 2669(एम0बी0)/2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उ०प्र0 लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था निम्न सूत्र के अनुसार की जायेगी:—

## 4.2- दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा :--

प्रसामान्यीकरण (Normalization) के बाद प्रस्तर—4.1 में वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत (Normalised) प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जायेगी।

## (1)— पुरूष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक :--

## (क) ऊँचाई :

- (1) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
- (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

### (ख) सीना :--

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

<u>टिप्पणी</u>:- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

## (2)— महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक :--

## (क) ऊँचाई :

- (1) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
- (2) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

#### (ख) वजन :--

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ४० किलोग्राम।

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे । यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे। कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपित दाखिल कर सकता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा इस प्रयोजन हेतु नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षा में असफल पाये जायेंगे उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित करते हुए अगले चरण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित की जायेगी।

## 4.3- शारीरिक दक्षता परीक्षा :--

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरूष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि0मी0 की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित की जायेगी।

#### टिप्पणी :--

- (1) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जायेगी।
- (2) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश—पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

## 4.4- चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची :--

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर 4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संस्तुति सिंहत चिकित्सा परीक्षा / चिरत्र सत्यापन के अधीन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चिय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :—

<u>टिप्पणी</u>— यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है, तो उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:—

- (1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी जो प्रस्तर 3.3 में अंकित अधिमानी अर्हता के क्रम के अनुसार कोई अधिमानी अर्हता रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।
- (2) उपर्युक्त के होते हुये भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।
- (3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

## 5- चिकित्सा परीक्षण :--

चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा मैनुअल व "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार की जायेगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

## 6- चरित्र सत्यापन :--

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, चिरत्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

## 7- आरक्षण व आयु सीमा में छूट :-

लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम—1994 (समय—समय पर यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम—1993 (समय—समय पर यथा संशोधित) के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। महिलाओं के लिए आरक्षण कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या:18/1/99/का—2/1999 दिनांक 26—02—1999, शासनादेश संख्या:18/1/99/का—2/2006 दिनांक 09—01—2007 एवं शासनादेश संख्या: 29रिट/का—2/2019 दिनांक 26—06—2019 के अनुसार अनुमन्य होंगे। आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं :-

#### 7.1— <u>लम्बवत (Vertical) आरक्षण</u> :—

क्र0सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु	प्रमाण पत्र व	प्रमाण-पत्र देने वाले
			सीमा में छूट	प्रारूप	सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण	जिलाधिकारी / अतिरिक्त
	जाति			पत्र	जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना
				प्रारूप—2	मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी
					मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज
					कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
	जनजाति			पत्र	सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/
				प्रारूप–2	तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,
					यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण
					अधिकारी
3	अन्य	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
	पिछड़ा वर्ग			पत्र	सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/
				प्रारूप—1	तहसीलदार
4	आर्थिक रूप	10		1— स्वंय	स्वहस्ताक्षरित
	से कमजोर			घोषणापत्र	
	वर्ग			प्रारूप—5 एवं	
				2— आय एवं	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
				परिसम्पत्ति	सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/
				प्रमाण पत्र	तहसीलदार
				प्रारूप–6	(दोनों प्रमाण–पत्र आवश्यक है।)

## 7.2- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण :--

क्र0सं0	विशेष श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले
			<i>a</i>		सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम	02	_	आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
	सेनानी के आश्रित			प्रारूप–3	

2	भूतपूर्व सैनिक	05	03 वर्ष *	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	यूनिट इंचार्ज / जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	महिला	20	_		करने से पूर्व की तिथि का ल निवास प्रमाण पत्र

\*भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 7.3— राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्याः 2—ई:एमः / 2001(1)—का—4—2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप—4 के अनुरुप निर्गत होना चाहिये।
- 7.4— शासन के पत्र संख्या—17 / 6—पु0—10—2016—27(3) / 2016 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और उत्तर प्रदेश का राजकीय सेवक भी है तो आयु सीमा में उसे अधिकतम छूट 5 वर्ष ही अनुमन्य होगी।

## टिप्पणी

- (1) यदि अनुसूचित जाति / जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरूष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा ।
- (2) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति / जनजाति के पुरूष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा ।
- (4) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या—13/22/16/92/टीसी—iii—का—2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप—1, उत्तर—प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप—2 तथा शासनादेश संख्या—5/2015/18/1/2008—का—2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र का प्रारूप—3 पर है।
- (6) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम—1994 (समय—समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची—दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े

वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) 01 अप्रैल, 2021 या उसके बाद का हो, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28-02-2022 तक निर्गत होना चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28-02-2022 तक निर्गत होना चाहिए।

- (7) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिये उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप-3 में तथा भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिये "यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र" इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28-02-2022 तक निर्गत होना चाहिए।
- (8) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप—5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप—6 के अनुसार हो तथा प्रमाण पत्र प्रारूप—6 दिनांकः 01 अप्रैल, 2021 या उसके बाद का हो परन्तु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28—02—2022 तक निर्गत होना चाहिए।
- (9) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप / निर्धारित अवधि का जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न किये जाने अथवा भारत सरकार की सेवाओं हेतु मान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनको अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में व्यवहृत किया जायेगा।
- (10) आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (11) लम्बवत / क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा।
- (12) ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जो अभिलेखों की संवीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा के समय निर्धारित प्रारूप/निर्धारित अविध का उ०प्र० का मूल निवास प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी मानते हुए विचार किया जायेगा, ऐसे अभ्यथियों को उनकी श्रेणी के अर्न्तगत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा उनके द्वारा ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंक अभिलेखों की संवीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा हेतु आहूत अनारिक्षत श्रेणी के कट ऑफ से कम होने की दशा में उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में सिम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (13) उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या—18/1/99/का—2/99 दिनांक 09—01—2007 के अनुसार राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्राप्त करने के लिए महिलाओं को उ०प्र० का मूल निवासी होना आवश्यक

है, किन्तु इस विषय में रिट याचिका संख्या—11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 16—01—2019 को पारित निर्णय द्वारा उक्त शासनादेश के अन्तर्गत उ०प्र० की मूल निवासी सम्बन्धी शर्त को अधिकारातीत (Ultra Vires) कर दिया गया है, इस प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16—01—2019 के विरूद्ध उ०प्र० शासन द्वारा विशेष अपील योजित की गयी है। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या—39िरट/का—2/2019 दिनांकित 26—06—2019 में विहित निर्देशों के अनुसार उ०प्र० के मूल निवासी से मिन्न महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देकर उनका चयन मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विशेष अपील (डी) संख्या—475/2019 उ०प्र० राज्य बनाम विपिन कुमार मौर्या व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

- (14) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप/निर्धारित अविध का प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (15) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (16) जो अभ्यर्थी केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, उन्हें आवेदन करने से पूर्व अपने सेवायोजक से निर्गत "अनापत्ति प्रमाण—पत्र" (No-Objection Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं जब उनसे अपेक्षा की जायेगी उसे प्रस्तुत करना होगा।
- (17) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किये गये अभिलेखों पर ही संवीक्षा की कार्यवाही की जायेगी।

## 8- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना :--

prof.

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होने अनिवार्य है जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड/अटैच किये जायेंगे: —

- क- शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-अंक पत्र / प्रमाण पत्र
- **ख** अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख (यदि कोई हो तो)—
  - (1)— डोएक (DOEACC) / नाइलिट (NIELIT) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का प्रमाण-पत्र या
  - (2)— प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या
  - (3)— राष्ट्रीय कैंडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र ।
- ग— आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)—
  - (1)— मूल निवास प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत)
  - (2)— अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप—1 पर (01 अप्रैल, 2021 से आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28—02—2022 तक निर्गत)।

- (3)— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप—2 पर ।
- (4)— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप—3 पर निर्गत होना चाहिए।
- (5)— भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत '' No-Objection Certificate''।
- (6)— आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप—4 पर होना चाहिए।
- (7)— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप—5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप—6 पर (01 अप्रैल, 2021 से आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28—02—2022 तक निर्गत)।
- **घ** फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और आवक्ष तक रंगीन फोटो और हस्ताक्षर ।

## 9- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :--

- 9.1— आवेदन करने हेतु 'ऑनलाइन आवेदन पद्धति' लागू है ।
- 9.2— ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी अपनी अर्हता सम्बन्धी समस्त प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका की स्कैन कॉपी अपलोड/अटैच करेंगे तथा सही प्रमाण-पत्र संख्या, अनुक्रमांक तथा प्राप्तांक आदि का विवरण भरना आवश्यक होगा।
- 9.3- 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:--
  - (1) बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर जायें ।
  - (2) ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें ।
  - (3) ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन चरणों में किया जायेगा:--

## (i) प्रथम चरण-मूल पंजीकरण

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 'Reference Number' एवं 'Password' प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित "ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लिंक" पर क्लिक करने के पश्चात 'New User' को क्लिक करें तथा प्राप्त फार्म में अपेक्षित सूचनायें भरकर 'Save' करने के पश्चात ही स्क्रीन पर 'Reference Number' एवं 'Password' प्रदर्शित होगा। पहली बार लॉगिन करने के लिये 'Reference Number' एवं 'Password' अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर और ई—मेल पर भेजा जायेगा। अतः 'Reference Number' एवं 'Password' प्राप्त करने के लिए अभ्यथी वैध ई—मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अगले चरण में 'Reference Number' एवं 'Password' अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर सही—सही प्रविष्ट करना होगा।

## (ii) द्वितीय चरण— शैक्षिक / अधिमानी अर्हता सम्बन्धी जानकारी भरना

अभ्यर्थियों को प्राप्त 'Reference Number' एवं 'Password' से लॉगिन करके फॉर्म में मांगी गयी समस्त जानकरी बिना त्रुटि भरनी होगी। समस्त जानकरी भरने के उपरान्त अभ्यर्थी अपनी नवीनतम रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, अधिमानी अर्हता, अभिलेखों की स्कैन कॉपी, आरक्षण हेतु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख/अभिलेखों की स्कैन कॉपी अपलोड एवं सभी घोषणाओं को भलीभांति पढ़कर सबिमट करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह भी ध्यान दे की अपलोड की गयी स्कैन कॉपी तथा दी गयी सूचना फीस पेमेंट करने से पूर्व भली भांति पुनः जांच ले। आवेदन सबिमट (Submit) करने से पूर्व यदि अभ्यर्थी को किसी सूचना अथवा स्कैन कॉपी को संशोधित (Edit) करना है तो हर सेक्शन के आगे दिए गए Edit बटन को क्लिक करके संशोधित कर सकते है। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी जानकारी / अभिलेख अभ्यर्थी के लॉगिन में save रहेंगे तथा Fees Payment की तरफ बढ़ने से पहले सुनिश्चित कर ले कि दी गयी जानकारी सही है अन्यथा आवेदन सबिमट होने के पश्चात किसी भी प्रकार के सुधार / संशोधन का अवसर नहीं दिया जायेगा। Fees Payment के successful होने के पश्चात ही अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण माना जाएगा एवं अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म तथा फीस रसीद को प्रिंट कर सकता है।

## (iii) तृतीय चरण —शुल्क का भुगतान

अभ्यर्थी केवल इण्टरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं UPI के माध्यम से ही निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल कर सकता है। सफल भुगतान होने के पश्चात ही आवेदक को 'Registration Number' प्राप्त होगा, जिसका उपयोग आगे की प्रक्रिया के लिये किया जायेगा और आवेदक को एक पंजीकृत उम्मीदवार माना जाएगा।

9.4— अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष तक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए।

अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:-

- 1— चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक / छाया नहीं होनी चाहिए।
- 2- नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो ।
- 3— कंधें साफ दिखने चाहिए ।
- 4— सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है ।
- 5— ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत भाग आच्छादित करता हो ।
- 6- तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, ऑखें खुली) ।
- 7— चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए ।
- 8- कैमरे पर सीधी नजर हो ।
- 9— चश्मा उतार कर फोटो लिया जाए।
- 10- फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए ।

यदि उपरोक्तानुसार फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को ऑनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा ।

- 9.5— एक बार आवेदन 'Submit' करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।
- 9.6— ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय उपलब्ध रहेंगे ।

## 9.7- आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :--

(1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें आवेदन करने से पूर्व अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत "अनापित्त प्रमाण–पत्र" (No-Objection Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

- अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही (2) उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है ।
- अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा । (3)एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है ।

#### अन्य :--10-

- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थायी है । (1)
- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो । (2)
- (3) किसी अनाचार, नकल करने या अपने स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में सिम्मलित कराने. परीक्षा सम्बन्धी निर्देशों का उल्लंघन करने, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन / अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एव चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार बोर्ड को होगा ।
- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है (4) अथवा उसने गलत / झूठी सूचना / सर्टिफिकेट / अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्यं छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थनं निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं एवं उसको अचयनित (Delist) करते हुए उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- इस सूचना / विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में (5) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा ।
- यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य (6) श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारीं की जा रही है। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी ।

## 11- बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा :--

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

अपर सचिव (भर्ती)

उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड,

लखनऊ।

## प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (याँत्रिक) ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठयक्रम

क्र0सं0	विषय	अधिकतम अंक
1	सामान्य हिन्दी	100 अंक
2	विज्ञान / सामान्य ज्ञान	100 अंक
3	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक
4	मानसिक अभिरूचि परीक्षा / बुद्धिलिध्य परीक्षा / तार्किक परीक्षा	100 अंक

## 1- सामान्य हिन्दी (General Hindi)-

1— हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें, 2— हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान—हिन्दी वर्णमाला, तद्भव—तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सिन्ध, समास, विराम—चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छन्द, अलंकार आदि, 3— अपठित बोध, 4— प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनायें, 5— हिन्दी भाषा में पुरस्कार, 6—विविध ।

## 2- विज्ञान/सामान्य ज्ञान (Science/General knowledge)

क— विज्ञान (Science) ईकाईयाँ, मापन एवं आयाम (Units, Measurements and Dimensions), सदिश एवं अदिश राशियाँ (Scalor and Vector Quantities), बल व गति के नियम (Force and Law of Motion), कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा (Work, Power and Energy), घूर्णन गति (Rotational Motion), ग्रहों और उपग्रहों की गति (Motion of planets and statellites), जल (Water), वैद्युत—रासायनिकी, (Electrochemistry), कार्बनिक यौगिक और प्लास्टिक (Organic compounds, Polymers and Plastics).

ख— सामान्य ज्ञान (General knowledge) सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफ०डी०आई० (फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट), विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उ०प्र० की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ०प्र० में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध, कम्प्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक/आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन।

## 3— संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (Numerical and Mental Ability Test)

क— संख्यात्मक योग्यता (Numerical Ability)— Number System-संख्या पद्धित, Simplification-सरलीकरण, Decimals and Fraction—दशमलव और भिन्न, Highest common factor and lowest common multiple- महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, Ratio and Proportion—अनुपात और समानुपात, Percentage—प्रतिशतता, Profit and Loss—लाभ और हानि, Discount—छूट, Simple interest—साधारण ब्याज, Compound interest—चक्रवृद्धि ब्याज, Partnership—भागीदारी, Average—औसत, Time and Work—समय और कार्य, Time and Distance—समय और दूरी, Use of Tables and Graph—सारणी और ग्राफ का प्रयोग,

Mensuration—मेन्सुरेशन, Arithmetical computation and other analytical function—अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, Miscellaneous—विविध ।

ख- मानसिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test)— Logical Diagrams—तार्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation—संकेत—सम्बन्ध विश्लेषण, Perception Test—प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test—शब्द रचना परीक्षण, Letter and number series—अक्षर और संख्या श्रृंखला, Word and Alphabet Analogy—शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, Common Sense Test—व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Direction Sense Test—िवशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of Data-आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument—प्रभावी तर्क, Determining implied meanings—अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना।

## 4-मानसिक अभिरूचि परीक्षा / बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा (Mental Aptitude Test/ I.Q- Test/Reasoning Test)

क— मानसिक अभिरूचि परीक्षा (Mental Aptitude Test)— Attitude towards the following:—निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण:— Public Interest—जनहित, Law and order—कानून एवं शांति व्यवस्था, Communal harmony—साम्प्रदायिक सद्भाव, Crime Control—अपराध नियंत्रण, Rule of law—विधि का शासन, Ability of adaptability—अनुकूलन की क्षमता, Professional Information (Basic level)-व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की), Police System—पुलिस प्रणाली, Contemporary Police Issues & Law and order—समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, Interest in Profession—व्यवसाय के प्रति रूचि, Mental toughness—मानसिक दृढ़ता, Sensitivity towards minorities and underprivileged—अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, Gender sensitivity—लैंगिक संवेदनशीलता।

ख- बुद्धिलिख्ध परीक्षा (I.Q. Test)— Relationship and Analogy Test—सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण, Spotting out the dissimilar—असमान को चिन्हित करना, Series Completion Test—श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, Coding and Decoding Test—संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, Direction Sense Test—दिशा ज्ञान परीक्षण, Blood Relation—रक्त सम्बन्ध, Problem based on alphabet—वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, Time sequence test—समय—क्रम परीक्षण, Venn Diagram and chart type test—वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, Mathematical ability Test—गणितीय योग्यता परीक्षण, Arranging in order—क्रम में व्यवस्थित करना।

ग— तार्किक परीक्षा (Reasoning Test)— Analogies—समरूपता, Similarities—समानता, Differences—भिन्नता, Space visualization—खाली स्थान भरना, Problem solving—समस्या को सुलझाना, Analysis judgement—विश्लेषण निर्णय, Decision-making—निर्णायक क्षमता, Visual memory—दृश्य स्मृति, Discrimination—विभेदन क्षमता, Observation—पर्यवेक्षण, Relationship—सम्बन्ध, Concepts—अवधारणा, Arithmetical reasoning—अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification—शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series—अंकगणितीय संख्या शृंखला, Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships—अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता ।



## उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(शासनादेश संख्या—13/22/16/92/टीसी—iii—का—2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र / सुपुत्री / श्रीनगरनवासी ग्रामतहसीलनगर
पिछड़ी जाति वं
व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों औ
अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक वे
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त
अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम
2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित
की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिय
सकल वार्षिक आय <b>आठ लाख रूपये</b> या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनक अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।
श्री / श्रीमती / कुमारीतथातथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश्
के ग्रामजिलानगरजिलाजे
सामान्यतः रहता है ।
TOTAL .
स्थान दिनांक
मुहर मुहर
36 /
हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम पदनाम
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी /
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

# उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(शासनादेश संख्या–13/22/16/92/टीसी–iii–का–2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

Ţ	प्रमाणित	किया	जाता है	कि	श्री / श्रीम	ाती / कुमा	री		
सुपुत्र / सुपुत्री /	′श्री		निवा	सी ग्राम		.तहसील		.नगर	
जिला.	***************************************	ਰਜ	तर प्रदेश रा	ाज्य की			जाति के	व्यक्ति	ि हैं
जिसे संविधान									
संविधान (अनु जाति / अनुसूचि						<sup>67</sup> क	अनुसार	अनुसू	्चित
. 0 4							_		
के	4		हिसाल	नगर	••••••	ाज	ला		म
सामान्यतया रह	ai & i								
स्थान	•••••								
दिनांक									
मुहर									
			ट्यां	ਜ਼ਰ					
		,	जिलाधिकारी				सिटी मजि	ास्ट्रेट /	/
			परगना मर्	•		•			
		•	मजिस्ट्रेट, यां	दि कोई	हो / जिल	समाज	कल्याण अ	धिकार्र	री



## उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र

(शासनादेश संख्या—5/2015/18/1/2008—का—2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री	ो / श्रीमती	निवासी
ग्रामतहसील	नगर	जिला
'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनि और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री के अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधान सेनानी)के आश्रित हैं। स्थान	विकलांग, स्वतंत्रता संग्र १यम १९९३' के अनुसार र पुत्र / पुत्री / पौत्र(पुत्र ग्री पुत्री) (विवाहित अथव	गम सेनानियों के आश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है म का पुत्र या पुत्री का प्रा अविवाहित) उपरांकित
	पूरा नाम पद नाम मुहर	
	जिलाधिका	री(सील)



राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप (उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमर्त	गे / कुमारी		रा	ज्य
सरकार के कर्मचारी है जो वेतनमान	में	के	पद	पर
विभाग / कार्यालय में दिनांक	से नि	नेयमित आ	धार	पर
सेवारत हैं।				
स्थानदिनांक	हस्ताक्षर(कार्यालयाध्यक्ष / नाम पद नाम	विभागाध्यक्ष	)	



## प्रारूप–5

## आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा—पत्र स्वयं घोषणा—पत्र

	में		पुत्र / पुत्री / पर्ल	<u> </u>	ग	म/कस्बा	•••••
त	पास्ट अ हसील	ШФН	थ जिला	ानारा <b>र</b>	ब्ल रा	क	 ≟
आर्थिक	रूप से कमजो	र वर्ग के प्रमाण	। पत्र हेतु आवेदन्	न दिया है, एतद्	द्वारा घोषणा क	रता / करती	'। ॱ हूँ :
1. अनुसूचि				रखता / रखती  हूँ वर्ग की सूची में			अधिसूचित
		ठी कुल श्रोतों (शब्दों में) है		यवसाय, पेशा इ	त्यादि) से कु	ल वार्षिक	आय रू०
3. <del>ਫ</del> ੈ	मेरे परिवार के	पास उल्लिखि	त आय के सिवाय	। अथवा इसके अ	तिरिक्तं अन्यत्र	कोई परिसग	म्पत्ति नहीं
			अथव	T			
		िस्थित परिसम्प गरे में आता/अ		के पश्चात भी मै	ं (नाम)	आ	र्थिक रूप
			कि मेरे परिवा अधिक नहीं है:—	र की सभी परि	सम्पत्तियों को	जोड़ने के	पश्चात्
	I.	05 (पॉच) एव	ज्ड कृषि योग्य भू	मि अथवा इससे व	ऊपर।		
	II.	एक हजार व	र्ग फीट अथवा इ	ससे अधिक क्षेत्रफ	ल का फ्लैट।		
	III.	अधिसूचित न का आवासीय		न्तर्गत 100 वर्ग ग	ज अथवा इस	से अधिक	
	IV.	अधिसूचित न आवासीय भूख		ार 200 वर्ग गज	अथवा इससे ३	भधिक का	
करता / व हूँ / जानत गया प्रवेश अथवा इर जा सकेग	सत्य है और मैं हरती हूँ। यदि ती हूँ कि इस रा/लोक सेवा स प्रमाण पत्र	आर्थिक रूप र मेरे द्वारा दी ग आवेदन पत्र के ओं एवं पदों में के आधार पर म्बन्ध में विधि प	से कमजोर वर्ग व र्इ जानकारी अस् आधार पर दिये प्राप्त की गई क्री कोई अन्य सुविध एवं नियमों के अध	द्वारा उपरोक्त ज ते लिए आरक्षण स् ात्य / गलत पायी गये प्रमाण पत्र नेयुक्ति निरस्ति व ा / लाभ प्राप्त कि ग्रीन मेरे विरुद्ध व	पुविधा प्राप्त क जाती है तो मैं के द्वारा शैक्षिण कर दी जायेगी या गया है उ जी जाने वाली	रने हेतु पात्र में पूर्ण रूप में गेक संस्थान में/कर दिय ससे भी वंदि कार्यवाही के	ता धारण नें जानता में लिया जायेगा वत किया हें लिए मैं
			आव	वेदक/आवेदिका	का हस्ताक्षर त	ाथा पूरा नाम	1
स्थान :–.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••						
दिनांकः	•••••					)	

## प्रारूप–6

(प्रपत्र- 1)

## उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय	का नाम				
आर्थिक रूप से कमजोर व	र्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तु	त किया जाने वाला आय	एवं परिसन्पत्ति प्रमाण–पत्र		
प्रमाण-पत्र संख्या	······	दिनांक—			
	वित्तीय वर्ष	के लिये मान्य			
पुत्र / पत्ना / पुत्रा ऑफिसराज्य	थाना पेन कोड	तहसीलक स्थायी निव	जिला वासी हैं. जिनका फोटोग्राफ		
नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक परिवार की कुल वार्षिक आय निम्नलिखित में से कोई भी पा	8 लाख (आठ लाख र रिसम्पत्ति नहीं ह <sup>*</sup> :–	रूपये मात्र) से कम है। इ	य वर्षमें इनके नके परिवार के स्वामित्व मे		
		भूमि अथवा इससे ऊपर। इससे अधिक क्षेत्रफल का	1 <del>1.                                   </del>		
III. अधिर	नूचित नगरपालिका के उ	भन्तर्गत 100 वर्ग गज अथ			
		तर 200 वर्ग गज अथवा इ	इससे अधिक का आवासीय		
2. श्री / श्रीमती / जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित	कुमारी जनजाति तथा अन्य पि	जाति नेछडे वर्गों के रूप में अधि	के सदस्य हैं, सूचित नहीं हैं।		
आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ		हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम	.(कार्यालय का मुहर सहित) 		
		सिटी मजिस्ट्रेट	तेरिक्त जिलाधिकारी / / परगना मजिस्ट्रेट सीलदार ।		